REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 6 | MARCH - 2019

समलैंगिकता का कानूनी पक्ष और औचितता

संदीप कुमार आदित्य
शोधकर्ता , राजनीति विज्ञान विभाग , बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय,
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय), लखनऊ.

सारांशः

किसी भी प्रगतिशील समाज के लिए प्रगति करना उसका स्वाभाविक गुण होता है और किसी भी समाज में यह विकास हर स्तर पर होता है चाहे वह मनुष्य जाति हो या कोई अन्य और जहां तक मनुष्य जाति का प्रश्न है वह किसी भी परिस्थिति में किसी में भी परिवर्तित हो सकता है! समलैंगिकता भी इसीप्रकार का परिणाम ही है। भारत में समलैंगिकता की कानूनी मान्यता को लेकर समय समय आवाज मुखर होती रही हैं। लेकिन समाज के ज्यादातर लोगों ने इसका विरोध किया क्योकि समलैंगिक संबंध को आमतौर पर प्रकृति के खिलाफ माना जाता था लेकिन कहते हैं न कि समाज में सभी वर्ग को चाहे वह किसी भी समुदाय का क्यों न हो उसे अपने के अधिकारो के साथ गरिमा पूर्वक जीने का पूरा हक है। एल.जी. बी.टी.[1] समुदाय भी ऐसा ही समुदाय है जो अपने अधिकारों और कानूनी मान्यता को लेकर समय समय प्रर्दषन करते रहे अततः उन्हें उनका हक कानूनी मान्यता मिल गई! वर्तमान समय में दुनिया के सभी देशों में समलैंगिक संबंधों को मान्यता नहीं है, केवल 25 देशों ने मान्यता दी है। हाल ही में भारत भी इसी सूची में शामिल हो गया है। प्रस्तुत शोध पेपर का मुख्य उद्देश्य समलैंगिकता के कानूनी पक्ष को देखना है।

मुख्यशब्दः- *समलैंगिक , लेस्बियन , उभयलिंगी , प्रगतिशील .*

प्रस्तावनाः

भारत सभी प्रकार के विश्वासों, मान्यताओं, आस्थाओं, दर्शन, नीतियों और रहने के तरीकों की लम्बी सहिष्णुता की परम्पराओं को रखता हैं। हालांकि भारत पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष देश हैं उसका अपना कोई धर्म नही है लेकिन सभी धर्मों को मानने वाला है। प्राचीन भारतीय समाज सभी प्रकार की विविध संस्कृतियों, कलाओं और साहित्यों को अपने में समाहित किये हुये था। एक स्थान पर हम शुद्धता व वास्तविकता की प्रतीक धार्मिक कलाकृतियों या मूर्तियों जैसे कोणार्क या जगन्नाथ पुरी के मन्दिर और वहीं दूसरी ओर खुजराहो के स्मारकों जो पूरी दुनिया में अपनी कामुक कला और मूर्तियों के लिये प्रसिद्ध हैं, को रखते हैं, जिसमें कुछ समलैंगिक गतिविधियों की भी मूर्तियाँ शामिल हैं। ये प्रदर्शित करता हैं कि प्राचीन काल में न केवल सभी तरह के यौन झुकाव थे बल्कि लोग इतने सहिष्णु और खुले विचारों के थे कि समलैंगिक–प्रेम की मूर्तियों को स्वतंत्रता के साथ बनाकर प्रदर्शित भी किया। आधुनिक समाज कहीं ना कहीं उन सब चीजों के लिये कम सहिष्णु हैं जो उनके बनायी गयी परम्पराओं के अनुसार व्यवहारिक और सामान्य नहीं हैं। जब हम सामाजिक व्यवहार का अध्ययन धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे इस्लाम या ईसाई या यौन अल्पसंख्यकों जैसे समलैंगिकों (एक समान लिंग

[1] LGBT – Lesbian Gay Bisexual Transgender

वाले व्यक्तियों का आपस में प्रेम संबंध) के परिपेक्ष्य में करते हैं, तो इन सभी मामलों पाते हैं कि बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों को लक्ष्य बनाकर व्यापक स्तर पर उनका शोषण और विरोध करते हैं। प्राचीन भारत की तरह न होकर, वर्तमान भारत में लोग समलैंगिक लोगों के साथ समानता का व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं और जिसके कारण वर्तमान समाज में मानव अधिकारों का लगातार उल्लंघन हो रहा हैं। भोजन, आवास और पानी की तरह ही यौन आवश्यकता भी मानव की आधारभूत आवश्यकताओं में से एक हैं जिसके बिना न तो जीवन का पूरी तरह से अहसास हो सकता हैं न ही उसका आनंद लिया जा सकता हैं। यौन झुकाव प्रत्येक व्यक्ति के लिये अलग हो सकता हैं। अनियमित यौन व्यवहार के लोग अल्पमत हैं, लेकिन वे वास्तविकता में हैं। अनियमित यौन व्यवहार को इस तरह समझा जा सकता है कि इसप्रकार के व्यक्तियों के लिये विपरित लिंग के प्रति कोई आकर्षण न होकर समान लिंग के प्रति आकर्षण होता हैं।

समलैंगिकता:

ये प्राकृतिक नियम हैं कि एक व्यक्ति दूसरे विपरीत लिंग के प्रति लैंगिक दृष्टि से या भावनात्मक रुप से जुड़ा होता हैं जैसे: आदमी औरतों की ओर आकर्षित होते हैं और इसके विपरीत भी। लेकिन कुछ समय और कुछ मामलों में ये लैंगिक और भावनात्मक आकर्षण विपरीत लिंग के प्रति न होकर समान लिंग के व्यक्ति की तरफ होता हैं। समान लिंग के प्रति आकर्षण और झुकाव ही समलैंगिकता हैं और ऐसे झुकाव वाले व्यक्ति समलैंगिक कहे जाते हैं। समलैंगिक व्यक्ति दोनों लिंग के हो सकते हैं जैसे: गे (आदमी का आदमी से शारीरिक संबंध), लेसबियन (औरत का औरत से शारीरिक संबंध)। समलैंगिक झुकाव के लिये एक और शब्द प्रयोग किया जाता हैं एल.जी.बी.टी. लेसबियन, गे, बाइसेक्सुयल और ट्रांसजेंडर का संक्षिप्त नाम हैं।

समलैंगिकता के कारण:

इस प्रकार के लैंगिक व्यवहार या चुनाव के पूरी तरह से ज्ञात नहीं है लेकिन विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा किये गये बहुत से शोधों से अलग–अलग परिणाम और व्याख्याएं पायी गयी हैं। इसके पीछे का कारण जैविक, मानसिक या दोनों का मिश्रण हो सकता हैं।

जैविक कारण:

बहुत से वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला हैं कि कोई भी व्यक्ति एक विशेष लैंगिक झुकाव के साथ पैदा होता हैं और ये उसके जीन में होता हैं। अतः ये एक प्राकृतिक घटना हैं। लेकिन इस निष्कर्ष का कोई सबूत नहीं हैं। कि समलैंगिक व्यवहार एक साधारण जैविक घटना हैं। लैंगिक चुनाव में आनुवांशिकता एक कारक हो सकती हैं लेकिन इसके साथ ही और कारकों की भी उपस्थिति होती हैं।

सामाजिक व मानसिक कारण:

ये वास्तविकता हैं कि सामाजिक–सांस्कृतिक वातावरण एक बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं। किसी का परिवार, मित्र, समाज और अनुभव ही उसके जीवन के प्रति दृष्टिकोण, भावनाओं और उसका/उसकी गतिविधियों को निर्धारित करता हैं। किसी की लैंगिक झुकाव के लिये मनौवैज्ञानिक कारक बहुत महत्वपूर्ण हैं।

लेकिन ये सत्य हैं कि केवल एक ही कारक नहीं बल्कि बहुत से कारकों का मिश्रण किसी की लैंगिक झुकाव का कारण बनता हैं। और ये प्राकृतिक हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार क्या खाना हैं, क्या पहनना हैं और किस तरह रहना हैं; चुनने का पूरा अधिकार हैं इसी तरह ये भी प्राकृतिक हैं कि वो ये निर्णय भी खुद ले कि उसे किसके साथ अपने यौन संबंध बनाने हैं, समान लिंग के साथ या विपरीत लिंग के साथ।

समलैंगिकों के खिलाफ भेदभाव:

हमारे समाज में समलैंगिकों के साथ बहुत अधिक तथा सभी स्तरों पर भेदभाव किया जाता हैं, जिसकी शुरुआत उनके घर से, उसके बाद बाहर, समाज, देश और पूरे विश्व में होनी शुरु हो जाती हैं। उनका पूरा

जीवन संघर्ष से भर जाता सिर्फ इसलिये कि वो एक विशेष लैंगिक झुकाव के साथ पैदा हुये हैं जो दूसरों से अलग हैं। जबकि ये बहुत से मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक शोधों से स्पष्ट हो गया हैं कि इस प्रकार का व्यवहार प्राकृतिक हैं।

हमारा समाज बहुत ही जटिल हैं; एक तरफ तो हम विश्व के अत्याधुनिक वैज्ञानिक, जो सभी प्रकार के उदारवादी विचारों और विश्वासों को मानते हैं, दूसरी तरफ बहुत ही रुढ़िवादी मान्यताओं और विचारों को धारण करने वाले समाज को रखते हैं। हम विशेष रुप से तथाकथित निषेध सामाजिक मुद्दों का सामना करने से बचते हैं जैसे: विवाह से पहले शारीरिक–यौन संबंध, लिव–इन–रिलेशनशिप (बिना शादी किये एक साथ रहना), धर्म या जाति से बाहर किसी से शादी, लव–मेरिज आदि। हमारे समाज में समलैंगिकता सबसे ज्यादा घृणास्पद और बचने वाला मुद्दा हैं। यहाँ तक कि गे और लेसबियन शब्दों के उल्लेख को भी सख्ती से मना किया गया हैं। अतः पूरा समाज अपने से अलग या तथाकथित अप्राकृतिक लैंगिक व्यवहार वाले व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता। एल.जी.बी.टी. समुदाय के व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव काफी आम है। और इसकी शुरुआत हमारे अपने घरों से होती हैं, उनके परिवार के अपने सदस्य इसे खुद एक बीमारी की तरह व्यवहार करते हैं या इसे दूर करने के लिये उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। यहाँ तक कि परिवार के सदस्य समाज में शर्मिंदगी महसूस करते हैं. यदि उनेक घर से में कोई सदस्य इस तरह का लैंगिक झुकाव रखता हैं। घर के बाहर, जैसे: कार्यस्थल पर, स्कूल और कॉलेज में या किसी भी सार्वजनिक जगह पर वो लोगों के बहुत ही घृणापूर्ण व्यवहार का अनुभव करते हैं। लोग उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं। उनको सभी जगह लक्षित करके घृणित टिप्पणी और गन्दे, भद्दे जोक (चुटकुले) सुनाये जाते हैं। उनका भद्दा मजाक बनाया जाता हैं। समस्या ये हैं कि उनके बात करने के तरीके और चलने के तरीके से उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता हैं और इस तरह वो आसानी से अप्रिय टिप्पणियों, भद्दे मजाकों का विषय बन जाते हैं। हम स्वंय अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, एक दूसरे को मैसेज भेजकर या मजाकों में एल.जी.बी.टी. समुदाय के लोगों की जिंदगी के बारे में खिल्ली उडाते हैं। यहाँ तक कि हमारे सिनेमा में भी इस समुदाय के लोग दर्शकों के सामने एक मजाकिया पात्र के रुप में प्रदर्शित किये जाते हैं।

कुल मिलाकर समाज की आम धारणा ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हैं और हम उन्हें अपने में से एक मानने को तैयार नहीं हैं।

भारत में कानून और समलैंगिकताः

भारत बहुत ही प्रगतिशील और गतिशील संविधान रखता हैं जो एक तरह से विशाल और जटिल राज्य की रीढ़ की हड्डी हैं। भारतीय संविधान ने अधिकार दिये हैं और देश के सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता हैं, चाहे वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक। संविधान सभी से बिना किसी भेदभाव के एक समान व्यवहार करता हैं। ये सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य हैं कि किसी के भी साथ भेदभाव न हो।

एल.जी.बी.टी. समुदाय एक अल्पसंख्यक समुदाय हैं और संविधान के अनुसार वो भी समान हैं। लेकिन उनके समानता का अधिकार और समाज में समान व्यवहार के अधिकार का नियमित रुप से उल्लंघन हो रहा हैं। न केवल समाज बल्कि राज्य तंत्र भी उनके साथ अलग ढंग से व्यवहार करता हैं विशेषतः पुलिस. वो अधिकारों के उल्लंघन के लिए नियमित रूप से शिकार बन रहे हैं। वो अपने बुनियादी मानव अधिकार और जीवन का अधिकार जिसमें जीवन का पूरा आनंद लेकर जीने का अधिकार शामिल है, से वंचित हैं।

एल.जी.बी.टी. समुदाय के लिये आई.पी.सी. की धारा 377[2]:

समलैंगिकता को लेकर पिछले कई दशकों से एक लंबी बहस और लड़ाई चली, पक्ष और विपक्ष में कई तर्क गढ़े गए। समलैंगिक समुदाय को समाज में स्वीकृति, सुरक्षा और सम्मान दिलाने के लिये सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला यकीनन एक नजीर बन गया है। अब भारत में सहमति से समलैंगिक यौन संबंध अपराध की श्रेणी में नहीं है। 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए समलैंगिकता को अपराध के दायरे

[2] The Indian panel code (1860) is the official criminal code of India, section377-it makes sexual activities against the order of nature.

से बाहर कर दिया है। हमारा संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। मौलिक अधिकारों को जहन में रखकर देश की सर्वोच्च अदालत ने समलैंगिता पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

पृष्ठभूमिः

- धारा 377 जिसे "अप्राकृतिक अपराध" (unnatural offences) के नाम से भी जाना जाता है, को 1857 के विद्रोह के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा अधिनियमित किया गया था।
- दरअसल, उन्होंने अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर हमारे लिये कानून बनाया। तब ईसाइयत में समलैंगिकता को अपराध माना जाता था जबकि इससे पहले समलैंगिक गतिविधियों में शामिल लोगों को भारत में दंडित नहीं किया जाता था।
- 1861 में अंग्रेजों ने भारत में समलैंगिकों के बीच शारीरिक संबंधों को अपराध मानते हुए उनके लिये 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया था।
- चर्च और विक्टोरियन नैतिकता के दबाव से सोलहवीं शताब्दी में समलैंगिकता को अपराध बनाने वाले कानूनों को कई दशक पहले ही यूरोप और अमेरिका में खत्म कर दिया गया, लेकिन भारत समेत अन्य देशों में यह अपराध ही बना रहा।
- दुर्भाग्य से समाज का एक बड़ा हिस्सा और उसका सांस्कृतिक विमर्श इसी दृष्टिकोण से बंधा हुआ है। विडंबना यह है कि 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा लाए गए आईपीसी के कानून की इस धारा को हटाने में भारतीय समाज को 157 साल लग गए।
- फैसला सुनाते हुए जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने अपने निर्णय में कहा कि सदियों तक बदनामी और बहिष्कार झेलने वाले समुदाय के सदस्यों और उनके परिवारों को राहत प्रदान करते हुए विलंब की बात को इतिहास में खेद के साथ दर्ज किया जाना चाहिये।[3]

आईपीसी की धारा 377?:

- आईपीसी की धारा 377 अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित है। इसके अनुसार, किसी भी व्यक्ति, महिला या पशु के साथ स्वैच्छिक रूप से संभोग करने वाले व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा और उसे आजीवन कारावास की सजा या दस साल तक का कारावास हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- अदालतों ने धारा 377 की कई बार व्याख्या की है और उन व्याख्याओं से निकलने वाला सामान्य सा निष्कर्ष यह है कि धारा 377 में गैर–प्रजनन यौन कृत्यों और यौन विकृति के किसी भी कृत्य को दंडित करने का प्रावधान है।
- दरअसल, धारा 377 में गैर–प्रजनन यौन कृत्यों यानी अप्राकृतिक यौन संबंधों जैसे गुदा मैथुन (Sadomy) ओरल सेक्स आदि को अपराध माना जाता है और दंडित करने का भी प्रावधान है।
- दिल्ली हाईकोर्ट में नाज़ फाउंडेशन द्वारा एक याचिका[4] दायर की गई जिसमें यह पूछा गया कि 'क्या धारा 377 संविधान के द्वारा आम नागरिकों को मिले समानता और मूल अधिकारों का हनन नहीं करती? अगर ऐसा है तो क्यों न इसे असंवैधानिक करार दे दिया जाए और दो समान लिंग के लोगों के आपसी सहमति से बने संबंधों को कानूनी मान्यता दे दी जाए।

समलैंगिकता अपराध क्यों नहीं है?:

- सुप्रीम कोर्ट ने 157 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 को आंशिक रूप से निरस्त करते हुए अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि जब दो वयस्क चाहे वे किसी भी लिंग के हों आपसी सहमति से एकांत में संबंध बनाते हैं तो इसे अपराध नहीं माना जा सकता।

[3] https://www.economist.com/new/politics-and-nation%20/history-ower-apology-to-lgbt-comAmunity-and kin -justice-indu malhotara/amp-articleshow/65708442.cms#refferrer=https://google.com
[4] नाज़ फाउंडेशन बनाम दिल्ली हाईकोर्ट।

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एल.जी.बी.टी. समुदाय के लोगों को भी संविधान में उसी प्रकार का बराबरी का अधिकार मिला हुआ है जैसे बाकी लोगों को।
- मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ जिसमें जस्टिस आर.एफ. नरीमन, जस्टिस ए. एम. खानविलकर, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड और जस्टिस इंदु मल्होत्रा शामिल हैं, ने एक मत से फैसला दिया कि परस्पर सहमति से वयस्कों के बीच समलैंगिक यौन संबंध यौन अपराध नहीं है।
- कोर्ट ने कहा कि धारा 377 के प्रावधान द्वारा ऐसे यौन संबंधों को अपराध के दायरे में रखने से संविधान में मिले समता और गरिमा के अधिकार का हनन होता है।
- शीर्ष अदालत ने सहमति से यौन संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर करते हुए कहा कि यह प्रावधान तर्कहीन, सरासर मनमाना और बचाव नहीं किये जाने वाला है।
- शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में यह साफ किया कि अगर दो वयस्कों में से किसी एक की सहमति के बगैर समलैंगिक यौन संबंध बनाए जाते हैं तो यह धारा 377 के तहत अपराध की श्रेणी में आएगा और दंडनीय होगा।
- संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से 495 पेजों में दिये गए आदेश में कहा कि एल.जी.बी.टी. समुदाय को देश के दूसरे नागरिकों के समान ही संवैधानिक अधिकार हासिल हैं।
- पीठ ने लैंगिक रुझानों को जैविक घटना और स्वाभाविक बताते हुए कहा कि इस आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव से मौलिक अधिकारों का हनन होता है।
- कोर्ट ने कहा कि धारा 377 पुराने ढर्रे पर चल रही सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है, जबकि समलैंगिकता मानसिक विकार नहीं है बल्कि यह पूरी तरह से स्वाभाविक अवस्था है।
- कोर्ट ने आदेश में कहा कि जहाँ तक धारा 377 के तहत एकांत में वयस्कों द्वारा सहमति से यौन क्रियाओं को अपराध के दायरे में रखने का संबंध है तो इससे संविधान के अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार), 15 (धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध), 19 (स्वतंत्रता का अधिकार) और 21 दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) में प्रदत्त अधिकारों का हनन होता है।
- हालाँकि आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसी सहमति स्वतः होनी चाहिये जो कि पूरी तरह से स्वैच्छिक हो और किसी भी तरह के दबाव या भय से मुक्त हो।
- नैतिकता को सामाजिक नैतिकता की वेदी पर शहीद नहीं किया जा सकता और कानून के शासन के अंतर्गत सिर्फ संवैधानिक नैतिकता की अनुमति दी जा सकती है।
- पीठ ने कहा कि एल.जी.बी.टी. समाज के सदस्यों को परेशान करने के लिये धारा 377 का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में किया जा रहा है जिसकी परिणति भेदभाव से होती है।
- शीर्ष अदालत ने ताजा आदेश में कहा है कि धारा 377 में शामिल पशुओं और बच्चों से संबंधित अप्राकृतिक यौन संबंध स्थापित करने को अपराध की श्रेणी में रखने वाले प्रावधान पहले की ही तरह लागू रहेंगे। यानी बच्चों और पशुओं से यौन संबंध बनाना पूर्व की तरह ही अपराध की श्रेणी में आएगा।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि "*जो भी जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, समलैंगिक लोगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है. संवैधानिक पीठ ने माना कि समलैंगिकता अपराध नहीं है और इसे लेकर लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी. आत्म अभिव्यक्ति से इनकार करना मौत को आमंत्रित करना है.व्यक्तित्व को बदला नहीं जा सकता. यह खुद को परिभाषित करता है, यह व्यक्तित्व का गौरवशाली रूप है.*" शेक्सपियर ने कहा था कि "*नाम में मतलब था कि जो मायने रखता है वो महत्वपूर्ण गुण और मौलिक विशेषताएं हैं न कि किसी व्यक्ति को क्या कहा जाता है.नाम व्यक्ति की पहचान का एक सुविधाजनक तरीका हो सकता है लेकिन उसके गुण ही उसकी पहचान है।* "**जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़** ने कहा है कि "*आज का फैसला इस समुदाय को उनका हक देने के लिए एक छोटा सा कदम है. एलजीबीटी समुदाय के निजी जीवन में झांकने का अधिकार किसी को नहीं है.*" **जस्टिस इंदु मल्होत्रा** में कहा कि "*इस समुदाय के साथ पहले जो भेदभाव हुए हैं उसके लिए किसी को माफ नहीं किया जाएगा* "। **जस्टिस नरीमन**

ने कहा "*ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है। केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ठीक से समझाए ताकि एलजीबीटी समुदाय को कलंकित न समझा जाए* "।

भारत में समलैंगिक अधिकारों को लेकर जागरूकताः

समलैंगिक समुदाय दुनिया भर में भेदभाव के शिकार होते रहे हैं। इनके अधिकारों के लिये कई देशों में लड़ाई अपने मुकाम तक पहुँची लेकिन कई देश लंबे वक्त तक समलैंगिक अधिकारों को लेकर चुप्पी साधे रहे।

- 1 अप्रैल, 2001 को नीदरलैंड में समलैंगिक विवाह का कानून बना। नीदरलैंड पहला ऐसा देश बना जहाँ समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिली। यही वह साल था जब पूरी दुनिया में समलैंगिक अधिकारों को लेकर बहस अगले चरण में पहुँच गई।
- कई देशों में समलैंगिक संबंधों के पैरोकार और उनसे हमदर्दी रखने वाले संगठनों ने अपने–अपने स्तर पर अधिकारों की पैरवी करनी तेज कर दी। भारत में भी समलैंगिक अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाने की कवायद परवान चढ़ने लगी।
- 2001 में दिल्ली उच्च न्यायालय में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाली आईपीसी की धारा 377 को गैर–संवैधानिक घोषित करने की मांग उठी।
- सामाजिक संस्था नाज फाउंडेशन ने अपनी याचिका में कहा कि धारा 377 कई लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है।
- इस याचिका पर न्यायालय को यह तय करना था कि धारा 377 संविधान के अनुच्छेद 21, 14 और 15 का अतिक्रमण करती है या नहीं।
- दिल्ली हाईकोर्ट में यह मामला करीब 9 साल चला। इस बीच कोर्ट ने सरकार से अपना पक्ष रखने को भी कहा जिसके जवाब में जहाँ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने धारा को हटाने के पक्ष में अपना हलफनामा दिया तो वहीं गृह मंत्रालय ने धारा 377 को बरकरार रखने की पैरवी की।
- मामले में प्रतिवादी पक्ष का यह कहना था कि समलैंगिकता प्राकृतिक नहीं बल्कि एक मानसिक बीमारी है और इसे सुधारा जा सकता है।
- दूसरी तरफ, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी भी व्यक्ति से लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता जिसमें उस व्यक्ति की यौन अभिरुचि भी शामिल है।
- याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आईपीसी की धारा 377 संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करती है जिसमें हर व्यक्ति को जीने के अधिकार की गारंटी दी गई है।
- इस अधिकार में सम्मान से जीवन जीना और गोपनीयता तथा एकांतता का अधिकार भी शामिल है।
- याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 14 के अतिक्रमण की आशंका भी जताई जिसमें हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के पूरी तरह कानूनी संरक्षण मिलने का भी अधिकार है जो एड्स जैसी जानलेवा बीमारी के बाद इस कानून के डर से उन्हें नहीं मिल पाता।
- जुलाई 2009 को दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में दिया। न्यायालय ने कहा कि हम घोषित करते हैं कि आईपीसी की धारा 377 जिस हद तक वयस्क व्यक्तियों द्वारा एकांत में सहमति से बनाए गए यौन संबंधों का अपराधीकरण करती है, संविधान के अनुच्छेद 21, 14 और 15 का उल्लंघन है।
- यह फैसला पूरे देश में चर्चा का विषय बना। एल.जी.बी.टी. के अधिकारों का समर्थन करने वाले लाखों लोगों ने फैसले का स्वागत किया।
- लेकिन यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। दिसंबर 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया।[5]
- न्यायालय का मानना था कि धारा 377 कुछ हद तक असंवैधानिक है लेकिन फिर भी उसे संसद ने बदलने से परहेज किया है। यानी संसद इसे हटाना नहीं चाहती।

[5] "Homosexuality is criminal offense: Supreme court", Economictimes, 11 December 2013.

- दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के उलट सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धारा 377 मौलिक अधिकारों का हनन इसलिये नहीं करती क्योंकि इन पर भी कुछ नियंत्रण लगाए जा सकते हैं।
- 2013 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही करीब साढ़े चार साल तक सहमति से बना समलैंगिक यौन संबंध कानूनी रहने के बाद फिर से गैरकानूनी हो गया।
- लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 6 सितंबर, 2018 को दिये गए ऐतिहासिक फैसले से समलैंगिकता अपराध के दायरे से बाहर हो गई।

दुनिया में समलैंगिकता को लेकर स्थिति

- समलैंगिक समुदाय के अधिकारों पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी लंबे समय तक चर्चा होती रही। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत में समलैंगिकों को मान्यता देने के बाद भारत उन 125 देशों में शामिल हो गया है जहाँ समलैंगिकता को कानूनी मान्यता प्राप्त है। हालाँकि अभी भी 72 देशों में इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
- अमेरिका में 2013 से वयस्कों के लिये समलैंगिकता वैध है। सितंबर 2011 में बनी **"डोंट आस्क, डोंट टेल"** नीति[6] के तहत समलैंगिकों को देश की सैन्य सेवाओं में नौकरी करने का अधिकार है।
- वर्ष 2017 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता दी। इसके अलावा, अमेरिका के कई राज्यों में समलैंगिक जोड़ों को शादी कर परिवार बसाने का भी अधिकार दिया गया है।
- इंग्लैंड और वेल्स में 1967 से, स्कॉटलैंड में 1981 से, जबकि नॉर्दर्न आयरलैंड में 1982 से समलैंगिकता को कानूनी मान्यता मिल चुकी है।
- 2005 में ब्रिटेन के संविधान में समलैंगिक जोड़ों को पहचान प्रदान करने का प्रावधान किया गया।
- जर्मनी में संसद का ऊपरी सदन समलैंगिक लोगों से भेदभाव खत्म करने का प्रस्ताव पारित कर चुका है। इस प्रस्ताव में समलैंगिक जोड़ों की शादी और उन्हें गोद लेने का अधिकार देना भी शामिल है। इससे पहले जर्मनी की संवैधानिक अदालत समलैंगिक पार्टनर को शादी की मान्यता दे चुकी है। ।
- जर्मनी में समलैंगिक पार्टनरशिप को पंजीकृत कराने की सुविधा है।
- डेनमार्क में समलैंगिकों को व्यापक अधिकार मिले हुए हैं। यहाँ समलैंगिक सेक्स 1933 से ही वैधानिक है। 1977 में यहाँ यौन संबंधों के लिये सहमति की उम्र घटाकर 15 साल कर दी गई थी।
- 1989 से डेनमार्क में समलैंगिकता को कानूनी मान्यता देने का सिलसिला शुरू हुआ। इस तरह डेनमार्क पहला देश था जिसने समलैंगिक जोड़ों को विवाहित दंपति के बराबर का दर्जा दिया।
- इसके बाद 1996 में नार्वे, स्विट्जरलैंड और आइसलैंड ने भी समलैंगिक संबंधों को कानूनी मान लिया।
- 2001 में नीदरलैंड में समलैंगिक जोड़ों की शादी को पूर्ण विवाह का अधिकार दिया गया।
- 2003 में बेल्जियम और 2004 में न्यूजीलैंड ने समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से स्वीकार किया।

नेपाल ने समलैंगिक संबंधों को साल 2007 में अपराध की श्रेणी के बाहर किया था. इसके बाद अगस्त 2015 में गे राइट्स एक्टिविस्ट काठमांडू की सड़कों पर संविधान में अपने हक की मांग के लिए उतरे. एक महीने बाद उनकी ये मांग भी मान ली गई. नेपाल ने अपना नया संविधान सितंबर 2015 में लागू किया था और संवैधानिक रूप से अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने वाला दुनिया का 10वां देश बना. हालांकि, वहां एक ही सेक्स के लोगों को आपस में शादी करने की इजाजत नहीं है. 2015 में एक सरकारी कमेटी ने इसे भी कानूनी मान्यता देने की सिफारिश की थी, लेकिन अभी तक ये मुमकिन नहीं हो पाया। कानून नहीं होने के बावजूद, रमेश नाथ योगी और एक ट्रांसजेंडर महिला मोनिका शाह ने अगस्त 2017 में शादी की, जिसे नेपाल की पहली एलजीबीटी शादी कहते हैं।

[6] Don't ask, Don't tell (DADT) was the official United State policy on military service by gays, bisexual and Lesbians. Instituted by the Clinton administrationon, February 28, 1994.

पाकिस्तानः

समलैंगिक संबंध बनाना पाकिस्तान में अपराध है. एक ही सेक्स के साथ संबंध बनाने पर वहां उम्रकैद तक की सजा है. पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 377 के तहत ये प्रावधान है. लेकिन, पाकिस्तान ने तीसरे जेंडर को मान्यता देने के लिए साल 2018 में एक कानून पास किया था. पाकिस्तान के गे राइट्स एक्टिविस्ट्स का कहना है कि वहां खुलेआम गे होने की बात मानना सुरक्षित नहीं है. हालांकि, कुछ लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते. उनका कहना है कि कराची गे लोगों के लिए जन्नत है. भारत में समलैंगिक संबंधों पर आए फैसले को पाकिस्तान के अखबारों में ज्यादा जगह नहीं मिली. ज्यादातर उदार छवि वाले अखबारों में इस खबर को लाइफस्टाइल या रिलेशनशिप के पन्नों पर जगह दी गई।

बांग्लादेशः

बांग्लादेश को भी एलजीबीटी के लिए सुरक्षित जगह नहीं माना जाता. समलैंगिक संबंध बानाने पर वहां 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है. देश के दो प्रसिद्ध गे राइट्स एक्टिविस्ट की साल 2016 में हत्या कर दी गई थी. एक साल के बाद पुलिस ने गे और बाईसेक्सुअल लोगों की एक सभा में रेड डाली और उन्हें मीडिया के सामने परेड कराया।

श्रीलंकाः

बांग्लादेश की तरह श्रीलंका में समलैंगिक संबंध बनाने पर 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है. जनवरी 2017 में इसे अपराध से बाहर करने के प्रस्ताव को वहां की कैबिनेट ने अस्वीकार कर दिया था। कोलंबो टेलीग्राफ नाम के अखबार ने 2016 में लिखा था, "श्रीलंका का समाज आमतौर पर समलैंगिकों के लिए डरावना है और वो इसमें गर्व भी महसूस करता है।" इसके बावजूद वहां सजा देने की दर कम है। लेकिन, मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि समलैंगिक लोगों को न सिर्फ आम लोगों से बल्कि पुलिस से भी भेदभाव झेलना पड़ता है।

अफगानिस्तानः

अफगानिस्तान में गे होना आसान नहीं है। दो पुरषों के बीच संबंध की स्थिति में लंबे समय तक के लिए जेल में भेजा जा सकता है। इसके अलावा इस्लामिक कानून में समलैंगिकता को अनैतिक और मुस्लिम सभ्यता के खिलाफ माना जाता है। इसलिए देश के कई हिस्सों में इसे कलंक माना जाता है। हालांकि, कहा जाता है कि गांवों में ऐसे संबंध आम हैं। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने 2017 में अफगानिस्तान के गे शरणार्थियों को वापस भेजने का फैसला किया था जिसकी काफी आलोचना हुई थी। अफगानिस्तान एक नए कानून के लिए ड्राफ्ट बना रहा है जिससे लड़कों पर होने वाले यौन अत्याचार को रोका जा सके. ऐसे अत्याचार को वहां बच्चाबाजी कहते हैं।

म्यांमारः

ब्रिटिश काल का कानून म्यांमार में भी है जो समलैंगिकों के रिश्तों को मान्यता नहीं देता. वहां भी जुर्माने के साथ 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। हालांकि, हाल के सालों में किसी को सजा होने की बात सामने नहीं आई है. कानूनी तौर पर वैध नहीं होने पर भी, म्यांमार में इसे लेकर खुलापन दिखता है। म्यांमार में फरवरी में एलजीबीटी समुदाय की एक परेड हुई थी। यही नहीं रंगून में एलजीबीटी थीम पर एक कैफे और रेस्त्रां भी खोला गया है।

चीनः

समलैंगिक संबंधों को चीन में 1997 में ही अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। वहां इसे एक मानसिक बीमारी माना जाता था. एक ही सेक्स में शादी करने की वहां अब भी इजाजत नहीं है। हालांकि, ताईवान के उच्चतम न्यायलय ने साल 2017 में ऐसी शादियों की इजाजत दे दी थी। दूसरे देशों की तरह यहां

भी समलैंगिक लोगों को समाज में भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। इसी साल मई में चीन के हूनान टीवी ने कथित तौर पर रेन्बो झंडे को ब्लर करके दिखाया था जिसकी काफी आलोचना हुई थी।

सुझावः

21वीं शताब्दी में भारत सर्वशक्ति और विश्व का नेता बनने के लिये कोशिश कर रहा हैं, वास्तव में इसमें विश्व की सर्वोच्च शक्ति बनने की पूरी क्षमता हैं। लेकिन इस क्षमता पर पूरी तरह से विश्वास तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि हम एक समाज के रुप में तथाकथित निषेध मुद्दों जैसे समलैंगिकता को न केवल स्वतंत्रता से स्वीकार करे बल्कि उन पर स्वतंत्र रुप से बहस भी करें।

और इसके लिये भारत के लोगों की सोच बदलनी होगी। इसके लिये सबसे पहला कदम स्कूल और घरों में यौन शिक्षा देना हैं। एक बच्चे के लिये ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें वो न केवल अपने माता पिता से यौन मुद्दों से संबंधित समस्याओं और विषयों पर आराम से बात कर सके बल्कि अपनी लैंगिक पसंद के बारे में अपने अध्यापकों और परिवार वालों को भी बता सके, ये भी महत्वपूर्ण हैं कि माता–पिता और शिक्षक उसकी बातों को सुनकर सराहना करें, उसका मार्ग दर्शन भी करें। इसलिये केवल बच्चों के लिये ही नहीं बल्कि बढ़ते हुये बच्चों और वयस्कों को भी यौन से संबंधित विषयों पर संवेदनशीलता के साथ शिक्षित करना चाहिये।

पुलिस के रूप में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी संवेदनशील बनाने की जरूरत है, ताकि वो एल.जी.बी.टी. लोगों की वास्तविक चिंताओं को समझने और उनके प्रयासों की सराहना करने में सक्षम हो जायेंगें।

इसी तरह, हमारे मीडिया और फिल्म बिरादरी को क्रमशः उनके शो और फिल्मों में इस तरह के लोगों का चित्रण करते हुए अधिक विचारशील होने की आवश्यकता हैं। वास्तव में के एल.जी.बी.टी. लोगों और उनके यौन पसंद के बारे में सही जानकारी के प्रसार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और समाज में उनकी स्थिति और परिस्थितियों की एक वास्तविक तस्वीर सामने रख सकती है।

इस सब के अतिरिक्त, एल.जी.बी.टी. लोगों के ऊपर कलंक को दूर करने में सबसे महत्वपूर्ण भी कदम भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से अपराधमुक्त करना है ताकि वो भी सभी ती तरह एक नियमित सामन्य जीवन जी सकें और उत्पीड़न या भेदभाव के बिना उनके बुनियादी मानव अधिकारों का लाभ उठा सकें। उम्मीद हैं कि हमारे सांसद जल्द ही उनकी अधिकारपूर्ण याचिका सुनेंगें और कानून में आवश्यक बदलावों को संभव करेंगें।

निष्कर्षः

भारतीय समाज में समलैंगिकों के सामाजिक मुद्दों की लगातार अनदेखी होती रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एल.जी.बी.टी. समुदाय के लोगों के बीच खुशी का माहौल है। लोगों का यह भी मानना है कि इस फैसले के बाद ऐसे समुदाय के लोगों को समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के अधिक मौके मिलेंगे। अन्य पहलुओं पर भी उनकी लड़ाई को मजबूती मिलेगी। साथ ही देश के सामाजिक ताने–बाने के साथ लोगों के बीच एल.जी.बी.टी. समुदाय के प्रति उनकी मानसिकता में भी बदलाव आएगा। समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले देश में विपरीत लिंगी व्यक्तियों के अधिकारों को लेकर काफी लंबे वक्त तक बहस चली जहाँ सरकार का दावा हमेशा से ही रहा है कि संविधान सभी व्यक्तियों को बराबरी का दर्जा देता है वहीं, हकीकत में विपरीत लिंगी व्यक्ति भेदभाव के शिकार बनते रहे हैं। हालाँकि इसके विरोध के अलावा समर्थन में भी काफी तर्क दिये जाते रहे हैं। समलैंगिक यौन संबंधों को सुप्रीम कोर्ट की कानूनी मान्यता मिलने के बाद अब यह सवाल उठना बंद हो जाएगा कि धारा 377 संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। लेकिन बराबरी के अधिकार का हक पाने के लिये लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अभी भी इस समुदाय को सामाजिक मान्यता पाने के लिये बहुत दूर तक चलना होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूचीः

A "Delhi high court decriminalizes homosexuality". www.livemint.com.

A Venkatesan, J. (11 December 2013). "Supreme Court sets aside Delhi HC verdict decriminalising gay sex". The Hindu. ISSN 0971-751 X

Canaday , Margot , Straight State : sexuality and citizenship in 20nth Century America (2009), Princeton University Press.
Crampton, Louis , Homosexuality and Civilization (2003), Belknap press.
HC pulls up government for homosexuality doubles peak". India Today. 26 September 2008
Narrain, Arvind, Queer: despised sexuality , law and social change.
Rajagopal, Krishnadas (7 September 2018). "SC decrimina lises homosexuality" - via www.thehindu .com.
Rare unity: Religious leaders come out in support of Section 377". DNA India.com. 12 December 2013.
Section 377 and the law: What courts have said about homosexuality over time" hindustantimes .com/. 2018-02-05.
Thomas, Shibu (29 September 2016). "14% of those arrested under section 377 last year were minors". The Times of India.
Vanita Rath, queering India: same –sex-love and Eroticism in India culture and society.

संदीप कुमार आदित्य
शोधकर्ता , राजनीति विज्ञान विभाग , बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), लखनऊ.

LBP PUBLICATION